

संशोधित आदेश दिनांकित 25.06.2026

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (ई0सी0एक्ट) कक्ष संख्या-04, देवरिया

उपस्थित- नरेन्द्र नाथ त्रिपाठी, (एच0जे0एस0)

(जे0ओ0 कोड नं0- U P 2696)



फौजदारी अपील संख्या-79/2024

(CNR No-UPDEO 1003987-2024)

01- रोहित सिंह बउम्र 38 वर्ष पुत्र राजेश सिंह

02- इन्दू सिंह बउम्र बालिग पत्नी राजेश सिंह,

03- कंचनलता सिंह बउम्र बालिग पत्नी अश्वनी सिंह,

04- अश्वनी सिंह बउम्र बालिग पुत्र सुरेश सिंह

निवासीगण रुस्तमपुर नियत हास्पिटल दुर्गा मंदिर गली, जिला गोरखपुर, हाल मुकाम 24
सिविल लाईन कालोनी कलेक्ट्रेट, सतना (मध्य प्रदेश)

..... अपीलकर्तागण

-प्रति-

01- उ0 प्र0 सरकार

02- अंजली सिंह उम्र 32 वर्ष पुत्री रणवीर सिंह साकिन- भुजौली थाना- महुआडीह, जिला-
देवरिया ।

....प्रतिपक्षीगण

नि र्ण य

01- प्रस्तुत फौजदारी अपील, अपीलकर्ता रोहित सिंह आदि द्वारा, न्यायालय अपर सिविल जज(जू0डि0)/ न्यायिक मजिस्ट्रेट, कक्ष सं-24, देवरिया द्वारा घरेलू हिंसा वाद संख्या- 12302/ 2021 अंजली सिंह बनाम रोहित सिंह आदि अन्तर्गत धारा- 12, 19, 20, 22, 26 घरेलू हिंसा से महिलाओ से संरक्षण अधिनियम 2005 थाना- महुआडीह, जिला देवरिया में पारित एकपक्षीय निर्णय दिनांकित-28-06-2022, से क्षुब्ध होकर, प्रस्तुत अपील धारा- 29 घरेलू हिंसा अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तुत की गयी है।

02- मामले के तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार है कि प्रतिपक्षिनी संख्या-2/ परिवादिनी द्वारा घरेलू हिंसा वाद संख्या- 12302/ 2021 अंजली सिंह बनाम रोहित सिंह आदि अन्तर्गत धारा- 12, 19, 20, 22, 26 घरेलू हिंसा से महिलाओ से संरक्षण अधिनियम 2005 थाना- महुआडीह, जिला देवरिया न्यायालय अपर सिविल जज(जू0डि0)/न्यायिक मजिस्ट्रेट, कक्ष सं-24, देवरिया के न्यायालय मे विपक्षीगण/अपीलार्थीगण के विरुद्ध दाखिल किया था, जिसमें तथ्य इस प्रकार है कि

आवेदिका की शादी दिनांक 15-02-2016 को विपक्षी सं०1 रोहित सिंह पुत्र राजेश सिंह मौजा भुजौली थाना महुआडीह जिला देवरिया के साथ हुयी थी। शादी में आवेदिका के माता पिता ने अपने हैसियत के अनुसार दान दहेज विपक्षीगण को दिया था। जिसमें 10 लाख रुपया नगद सोने चांदी के जेवरात, कुलर, फ्रिज, वाशिंग मशीन रंगीन टी०बी० डबल बेड, सोफा आदि भौतिक वस्तुएं थी। शादी में ही आवेदिका विदा होकर अपने ससुराल रुस्तमपुर गोरखपुर चली गयी। आवेदिका व विपक्षी के वैवाहिक सम्बन्ध से एक लड़का विहान पैदा हुआ जो इस समय करीब ढाई साल का है। विवाह के कुछ दिनों तक सब ठीक रहा। बाद में आवेदिका के ससुराल के लोगों के व्यवहार में परिवर्तन आ गया तथा दहेज में 5 लाख रुपया नगद की मांग करने लगे। मांग पूरी नहीं होने पर आवेदिका के पति, ससुर, सास, ननद व ननदोई शारीरिक एवं मानसिक को प्रताड़ित करने लगे। आवेदिका के पति का चाल चलन ठीक नहीं है। वह जुआड़ी व शराबी है, वह दूसरी औरतों के सम्पर्क में भी रहता है। काफी समझाने के बाद भी विपक्षी सं०1 के व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं आया था वह शराब पीकर घर आता है तथा आवेदिका व उसके बच्चे को गाली गुप्ता देता है तथा मारता पीटता व शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित करता है। उसके घर के लोग उसी का सहयोग करते हैं। बाद में आवेदिका अपने ससुराल वालों की 5 लाख रुपया दहेज की मांग को अपने पिता से बतायी। आवेदिका के पिता व भाई आवेदिका के ससुराल आये तथा आवेदिका के पति, ससुर, सास, ननद व ननदोई को काफी समझाये बुझाये, परन्तु उनके व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं आया, तथा यह लोग दहेज की मांग के लिये आवेदिका व उसके बच्चे को प्रताड़ित करते रहे। आवेदिका का पति सम्पन्न परिवार का है, तथा दहेज का लोभी है। विपक्षी के पास पर्याप्त खेती बारी है। गोरखपुर शहर में मकान है। मकान से 30 हजार रुपया महीना किराया मिलता है। विपक्षी सं०1 प्राइवेट जॉब करता है, तथा 20 हजार रुपया माहवार कमा लेता है। खेती बारी से सालाना लगभग 5 लाख रुपये की आय होती है। इस प्रकार विपक्षी की आय लगभग 80 हजार रुपया महीना है। आवेदिका की सास भी सरकारी नौकरी में है। दहेज की मांग पूरी नहीं होने पर विपक्षीगण आवेदिका को मार पीट कर गाली गुप्ता देकर बच्चे सहित घर से दिनांक 10.03.21 को निकाल दिये। तबसे आवेदिका अपने बच्चे सहित अपने पिता के घर किसी तरह जीवन यापन कर रही है। आवेदिका के पास कोई हुनर नहीं है। विपक्षीगण आवेदिका व उसके बच्चे को दवा इलाज, भरण पोषण व बच्चे की शिक्षा खर्च के लिये कोई रकम नहीं देते हैं। आवेदिका के पति, ससुर, सास, ननद व ननदोई फोन से शारीरिक प्रताड़ना गाली गुप्ता व जान से मारने की धमकी देते हैं। आवेदिका के पास आय का कोई श्रोत नहीं है, जिससे आवेदिका अपना व अपने बच्चे की जीविका चला राके। अतः आवेदिका की ओर से न्यायालय में घरेलू हिंसा का वाद दाखिल करके निवेदन किया है कि उसे विपक्षीगण से आवेदिका व उसके लड़के विहान के भरण पोषण चिकित्सा खर्च व शिक्षा दीक्षा हेतु 20 हजार रुपया माहवार दिलवाया जाय। विपक्षीगण को आदेशित किया जाय कि वह आवेदिका व उसके लड़के को शारीरिक व मानसिक उत्पीडन न करें, और आवेदिका को बच्चे सहित मकान में रहने दें, तथा यह भी

आदेशित किया जाय कि विपक्षी दूसरी शादी करें।

03— विपक्षीगण पर नोटिस का तामिला कराया गया, तदनुसार आख्या प्रेषित की गयी है। वाद में न्यायालय द्वारा विपक्षीगण के पास नोटिस व रजिस्ट्री भेजी गयी। विपक्षीगण के न्यायालय उपस्थित नहीं आने पर ट्रैकिंग रिपोर्ट के आधार पर न्यायालय द्वारा विपक्षीगण पर तामिला पर्याप्त उपधारित मानकर दिनांक-05-05-2022 को विपक्षीगण के विरुद्ध वाद की कार्यवाही एकपक्षीय रूप से अग्रसारित किया गया।

04— उपरोक्त घरेलू हिंसा वाद में के समर्थन में मूलवाद की परिवादिनी/विपक्षनी सं०-2 अंजली ने स्वयं का अपना बयान बतौर पी० डब्लू०-1 व उसके साक्षी देवेन्द्र बहादुर सिंह को बतौर पी० डब्लू०-2 के रूप में परीक्षित कराया गया।

05— विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा मूलवाद के परिवादिनी के विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनने एवं पत्रावली पर उपलब्ध प्रपत्रों व डी० पी० ओ० की आख्या के परिशीलन के उपरान्त आलोच्य आदेश पारित करते हुये घरेलू हिंसा की पत्रावली को एकपक्षीय रूप से निर्णीत करते हुए यह आदेश पारित किया कि "विपक्षीगण आवेदिका व उसके लड़कें के विरुद्ध किसी भी प्रकार की घरेलू हिंसा का कृत्य कारित नहीं करेंगे तथा उन्हें यह भी आदेशित किया जाता है कि वह आवेदिका व उसके लड़के को उसके संयुक्त मकान में निवास करने वाले कमरे में रहने देंगे एवं विपक्षी संख्या-1 को आदेशित किया जाता है कि वह आवेदिका को आदेश की तिथि से मु०-5000/- रुपया उसके भरण पोषण, चिकित्सीय व गृहस्थ खर्च व अन्य खर्च को सम्मिलित करते हुए तथा बच्चे विहान को 3000/- रुपया भरण पोषण चिकित्सा खर्च व शिक्षा दीक्षा हेतु कुल 8000/- रुपया प्रत्येक माह की 10 तारीख तक आवेदिका को प्रदान करेंगे।" जिससे क्षुब्ध हो कर अपीलार्थीगण द्वारा अपील प्रस्तुत की गयी है।

06— अपीलकर्तागण द्वारा अपील हेतु यह आधार लिया गया कि माननीय विचारण न्यायालय का एकपक्षीय निर्णय खिलाफ तथ्य, कानून व असलियत के होने के कारण निरस्त होने योग्य है। याची ने गलत तथ्यों के आधार पर, सही तथ्यों को छिपाते हुए घरेलू हिंसा का वाद दाखिल किया है। प्रतिपक्षी अंजली सिंह शादी के कुछ माह बाद से ही बिना किसी युक्तियुक्त कारण के अपीलार्थी संख्या-1 से अलग रहती है, जब वह साझी गृहस्थी में न रहकर अपने मायके में ही रहती है तो घरेलू हिंसा कारित होने का प्रश्न ही नहीं उठता है। प्रतिपक्षी अंजली सिंह ने आज तक अपीलार्थी संख्या-01 के साथ पति पत्नी का सम्बन्ध कायम नहीं किया और प्रताड़ना का आरोप अपीलार्थीगण पर ही लगा दिया, जबकि वास्तव में प्रताड़ना तो उसने अपीलार्थीगण पर किया है। याची द्वारा घरेलू हिंसा का वाद एक साजिश के तहत मात्र अपीलार्थीगण को हैरान व परेशान करने की गरज से यह घरेलू हिंसा का वाद दाखिल किया है, जिसकी जानकारी अपीलकर्तागण को नहीं हो पायी। अदालत मातहत का यह एकपक्षीय निर्णय बिना अपीलकर्तागण पर सही तरीके से तामिला कराये बगैर निर्णीत किया गया है, जो प्राकृतिक न्याय के विरुद्ध है। अपीलार्थी संख्या-3

की शादी हो चुकी है और व अपने पति अश्वनी सिंह के साथ अपीलार्थी संख्या-1 व 2 से अलग रहती है। वे लोग याची के ननद व ननदोई हैं। मातहत अदालत ने इस तथ्य पर ध्यान नहीं दिया है, जिस कारण भी प्रश्नगत आदेश निरस्त होने योग्य है। दिनांक-01-12-2021 को याची द्वारा रजिस्ट्री किया गया, किन्तु जिस पते पर रजिस्ट्री किया गया उस पते पर अपीलार्थीगण नहीं रहते हैं, जिस कारण अपीलार्थीगण को प्रश्नगत मुकदमें की जानकारी नहीं हो सका और माननीय विचारण न्यायालय ने प्रार्थीगण के विरुद्ध दिनांक-05-05-2022 को एकपक्षीय कार्यवाही अग्रसारित किया। अपीलार्थी संख्या-1 के विरुद्ध माननीय अवर न्यायालय ने 8000/- रुपया प्रतिमाह याची को देने का आदेश पारित किया है, जबकि मूल पत्रावली में प्रार्थी के इनकम के वावत कोई साक्ष्य दाखिल नहीं किया गया है। पगार्थी बेरोजगार व्यक्ति है। मु0-8000/- रुपया प्रतिमाह देने में अक्षम है, जिस कारण भी प्रश्नगत आदेश निरस्त होने योग्य है। नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त को दृष्टिगत रखते हुए चूँकि प्रत्येक पक्ष को सुनवाई का अवसर प्राप्त होना चाहिए। इस आधार पर भी घरेलू हिंसा का एकपक्षीय आदेश को खण्डित कर गुण-दोष के आधार पर उभय पक्ष को सुनकर निर्णय पारित किया जाना आवश्यक एवं न्यायसंगत है। प्रार्थीगण का माननीय सत्र न्यायालय में यह प्रथम अपील है। अन्य कोई अपील किसी न्यायालय में प्रश्नगत आदेश के विरुद्ध विचाराधीन नहीं है और न तो खारिज हुई है और न तो माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन न तो खारिज हुई हैं अदालत मातहत के एकपक्षीय आदेश बहाल रहने से अपीलकर्तागण की अपूर्णनीय क्षति होगी जिस कारण प्रश्नगत आदेश निरस्त किया जाना आवश्यक एवं न्यायसंगत है। अतः अपीलकर्तागण की अपील स्वीकार कर एकपक्षीय निर्णय दिनांक-28-06-2022 को निरस्त करने का निवेदन किया है।

07— उपरोक्त अपील के विरुद्ध प्रत्यर्थिनी सं0-2 अंजली सिंह द्वारा अपनी आपत्ति कागज संख्या-14ख/1 ता 14ख/2 प्रस्तुत करते हुए कथन किया कि अपील दिनांक-19-06-2023 वाक्या तथ्यों व विधि के प्रावधानों के विपरीत है। अपील के मेमों में अपीलार्थीगण द्वारा जो आधार दिया गया है, मनगढन्त व काल्पनिक है। प्रतिपक्षनी द्वारा/ अपीलार्थी द्वारा वैवाहिक सम्बन्ध बनने का जो दिया गया है वह सरासर गलत है क्योंकि अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी के वैवाहिक सम्बन्धों से एक लड़का भी है, जो विहान है। अपीलार्थी के पैरा-6 में जो कथन किया गया है वह सरासर गलत है, क्योंकि प्रत्यर्थीगण को शुरू से ही मुकदमें की जानकारी रही है। मुकदमें के बारे में वाले-वाले जानकारी करते रहे हैं। अपीलार्थीगण को मुकदमें की जानकारी सम्मन रजिस्ट्री द्वारा अपीलार्थीगण दोनों पते पर दिया गया और ट्रेकिंग रिपोर्ट के आधार पर प्रतिपक्षीगण के विरुद्ध तामिला उपधारित किया गया। अपीलार्थीगण को मूल मुकदमें में जवाबदेही देने का पर्याप्त अवसर दिया गया। समय से और पर्याप्त अवसर दिए जाने के बावजूद ही प्रतिपक्षीगण के विरुद्ध न्यायालय द्वारा कार्यवाही अग्रसारित किया गया। अपील के पैरा-8 में जो कथन किया गया है वह भी मिथ्या व गलत है। वास्तविकता यह है कि प्रत्यर्थी के पक्ष में मु0-5000/- रुपया प्रतिमाह तथा बच्चे विहान के भरण पोषण के लिए मु0-3000/- रुपया प्रतिमाह

देने का आदेश हुआ है जो विधि सम्मत है। पूरे अपील के मेमो में कही भी प्रत्यर्थी के बच्चों विहान के बारे में कुछ नहीं कहा गया है तथा काल्पनिक और मनगढ़न्त तथ्यों के आधार पर प्रस्तुत अपील दाखिल किया गया है। अपील शपथ पत्र से समर्थनीय नहीं हैं अपील दिनांक- 19-06-2023 हर दृष्टिकोण से निरस्त होने योग्य है। अतः अपील पर आपत्ति स्वीकार करते हुए तथा आपत्ति में वर्णित तथ्यों के आधार पर अपील दिनांक-19-06-2023 निरस्त करने का निवेदन किया है।

08- राज्य की ओर से विद्वान अपर जिला शासकीय अधिवक्ता(फौजदारी) द्वारा तर्क प्रस्तुत कर यह कहा गया है कि प्रश्नगत आदेश, विद्वान अवर न्यायालय द्वारा पूर्णतया विधि के अनुरूप है, जो अपने क्षेत्राधिकार के तहत संबंधित मामले में पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक एवं अभिलेखीय साक्ष्यों पर विचार किये जाने के पश्चात् विद्वान अवर न्यायालय द्वारा पारित किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं है, और न ही उसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता है। उक्त आधार पर प्रस्तुत फौजदारी अपील को निरस्त किये जाने योग्य बताया गया है।

09- अपीलार्थीगण के द्वारा अपने कथनों के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में सूची 4ग/1 से घरेलू हिंसा वाद संख्या- 12302/ 2021 अंजली सिंह प्रति रोहित सिंह आदि में पारित निर्णय दिनांकित- 28-06-2022 की सत्यप्रतिलिपि कागज संख्या-4ख/2 ता 4ख/4 सत्य दाखिल किया गया है।

10- अपीलार्थीगण मय विद्वान अधिवक्ता उपस्थित व प्रतिपक्षी संख्या- 2 के विद्वान अधिवक्ता उपस्थित । उत्तर प्रदेश राज्य की ओर से विद्वान अपर जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) को सुना तथा पत्रावली में उपलब्ध प्रपत्रों, व संबंधित अवर न्यायालय से तलबशुदा पत्रावली में उपलब्ध सामग्री का परिशीलन किया ।

--:निष्कर्ष--:

10- प्रस्तुत मामले के निस्तारण हेतु निम्नलिखित अवधार्य बिन्दु विरचित किए जाते हैं:-

- (i) **अवधार्य बिन्दु संख्या- 1:-** क्या अपीलार्थीगण पर नोटिस का उचित तामिला नहीं हुआ है, जिस कारण उन्हें अवर न्यायालय के सम्मुख चल रहे प्रकरण की जानकारी नहीं थी ?
 - (ii) क्या अवर न्यायालय द्वारा अपीलार्थी रोहित सिंह की आय के बारे में उचित जाँच के बिना इस मामले में भरण-पोषण की रकम निर्धारित की है ?
 - (iii) क्या विद्वान अवर न्यायालय का निर्णय ऐसी त्रुटि से ग्रस्त है कि उसे खारिज किया जाना चाहिए ?
- 11-** **निस्तारण अवधार्य बिन्दु संख्या-1:-** क्या अपीलार्थीगण पर नोटिस का उचित तामिला नहीं हुआ है, जिस कारण उन्हें अवर न्यायालय के सम्मुख चल रहे प्रकरण की जानकारी नहीं थी ?

अपीलार्थी द्वारा अपने अपील के अन्तर्गत एकपक्षीय निर्णय को इस आधार पर चुनौती दिया गया है कि दिनांक- 01-12-2021 को याची द्वारा रजिस्ट्री किया गया है, किन्तु जिस

पते पर रजिस्ट्री किया गया है उस पते पर अपीलार्थी नहीं रहता है। जिस कारण अपीलार्थीगण को प्रश्नगत मामले की जानकारी नहीं हो सकी, किन्तु अपील के मेमो के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलार्थीगण ने अपने गोरखपुर के निवास स्थान और हाल मुकाम के रूप में सतना के जिस निवास स्थान का पता दिया है, वही पता प्रतिपक्षी/वादिनी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में भी अपीलार्थीगण का दिया गया है। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त दोनो पते पर ही उपस्थित होने हेतु अपीलार्थीगण को नोटिस भेजा गया था। गोरखपुर के पते पर प्रेषित नोटिस तामील हुई या नहीं, इस सम्बन्ध में पत्रावली से स्पष्ट नहीं हो रहा है। अवर न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह अवश्य स्पष्ट है कि अपीलार्थी संख्या- 1 रोहित सिंह एवं अपीलार्थी संख्या- 2 इन्दू सिंह को सतना के उनके पते पर रजिस्ट्री दिनांकित- 1-12-2021 भेजी की गयी थी और ट्रैकिंग रिपोर्ट के अनुसार उक्त रजिस्ट्री उस पते पर प्राप्त कराया गयी थी। अपीलार्थी संख्या-4 अश्वनी सिंह को भेजी गयी रजिस्ट्री की ट्रैकिंग रिपोर्ट से स्पष्ट है कि उस पते पर रजिस्ट्री की डिलीवरी हुई थी, किन्तु अपीलार्थी संख्या-3 कंचनलता सिंह को प्रेषित रजिस्ट्री दिनांकित- 25-03-2022 अपर्याप्त पता होने के कारण डिलीवर नहीं हुई और ट्रैकिंग रिपोर्ट के अनुसार वह देवरिया वापस आ गयी। इस प्रकार अपीलार्थी/ प्रतिवादी संख्या- 3 कंचनलता सिंह पर नोटिस की डिलीवरी नहीं हुई थी। अतः इस सम्बन्ध में विद्वान मजिस्ट्रेट द्वारा दिनांकित- 05-05-2022 को कंचनलता सिंह के विरुद्ध तामिला उपधारित करने का आदेश उचित प्रतीत नहीं होता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि अपीलार्थी संख्या-3 कंचनलता सिंह को प्रस्तुत मामलों में सुनवाई का उचित अवसर नहीं मिला। इस प्रकार प्रस्तुत मामलों में उचित तामिला का अभाव दिखाई पड़ता है। इस प्रकार अवधार्य बिन्दु संख्या-1 अपीलार्थीगण के पक्ष में एवं प्रतिपक्षी के विरुद्ध निर्णीत किया जाता है।

12- निस्तारण अवधार्य बिन्दु संख्या-2:- क्या अवर न्यायालय द्वारा अपीलार्थी रोहित सिंह की आय के बारे में उचित जाँच के बिना इस मामले में भरण-पोषण की रकम निर्धारित की है ?

प्रस्तुत मामले में अवर न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विद्वान अवर न्यायालय द्वारा अपीलार्थी संख्या- 1 के विरुद्ध एवं प्रतिपक्षी संख्या- 2 वादिनी मुकदमा के पक्ष में कुल 5000/- रुपया प्रतिमाह भरण पोषण एवं उसके बच्चे विहान के पक्ष में मु0- 3000/- रुपया भरण पोषण, कुल मु0- 8000/- रुपया प्रतिमाह की दर से भरण पोषण की धनराशि नियत की गयी है, किन्तु उसे नियत करते समय अपीलार्थी संख्या- 1/विपक्षी संख्या-1 की आय के सम्बन्ध में कोई जाँच नहीं की है, न ही उन आधारों का उल्लेख किया गया है, जिनके अग्रसरण में उनके द्वारा उक्त भरण-पोषण की धनराशि नियत की गयी है। अपीलार्थीगण द्वारा अपील में यह तर्क लिया गया है कि वह बेरोजगार व्यक्ति है एवं मु0- 8000/- रुपया प्रतिमाह देने में अक्षम है एवं मूल पत्रावली में उनका इनकम के वावत कोई साक्ष्य दाखिल नहीं किया गया है। अवर न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से भी स्पष्ट है कि अपीलार्थी की इनकम के सम्बन्ध में कोई

भी साक्ष्य अवर न्यायालय के सम्मुख दाखिल नहीं हुआ है। केवल वादिनी द्वारा शपथ-पत्र से समर्थित अपने प्रार्थना पत्र में यह कथन किया गया है कि विपक्षी के पास पर्याप्त खेती बारी है। गोरखपुर शहर में मकान है, जिससे मु0- 30,000/- रुपया माहवार किराया मिलता है और विपक्षी संख्या- 1 प्राइवेट जॉब करता है तथा मु0- 20,000/- रुपया माहवार कमा लेता है। खेती बारी से सालाना 5 लाख रुपया की आय होती है। इस प्रकार विपक्षी की आय लगभग मु0- 80,000/- रुपया प्रतिमाह है, किन्तु घरेलू घरेलू हिंसा अधिनियम के प्रार्थना पत्र का अन्तिम रूप से निस्तारण करने के लिए मात्र इतना कथन पर्याप्त नहीं है। न्यायालय को पर्याप्त साक्ष्य के आधार पर खुद नियत करना होता है कि प्रतिपक्षी की वास्तविक आय क्या है एवं उस आधार पर भरण-पोषण की धनराशि तय की जाती है, किन्तु प्रस्तुत मामलों में ऐसा किसी जॉच के बिना सीधे मु0- 8,000/- रुपया की धनराशि भरण-पोषण हेतु तय कर दी गयी है, जो कि न्यायोचित नहीं है। इस प्रकार अवधार्य बिन्दु संख्या- 2 अपीलार्थीगण के पक्ष में एवं विपक्षीगण के विरुद्ध नियत किया जाता है।

13- निस्तारण अवधार्य बिन्दु संख्या-3:- क्या विद्वान अवर न्यायालय का निर्णय ऐसी त्रुटि से ग्रस्त है कि उसे खारिज किया जाना चाहिए ?

उपरोक्त के अवलोकन से सपष्ट है कि अपीलार्थी कंचनलता के विरुद्ध सम्मन का तामिला पर्याप्त नहीं था एवं उसे सुनवाई का मौका नहीं मिला है। इसके अतिरिक्त अपीलार्थी संख्या- 1 की आय के सम्बन्ध में पर्याप्त छानबीन के बिना इस मामले में भरण-पोषण की धनराशि तय की गयी है। इस प्रकार विद्वान अवर न्यायालय का निर्णय उपरोक्त आधारभूत त्रुटियों से ग्रस्त है। अतः उक्त निर्णय को पूर्ण रूप से निरस्त किया जाना ही न्यायोचित है। निष्कर्ष स्वरूप, विद्वान विद्वान अवर न्यायालय के निर्णय दिनांकित- 28-06-2022 को निरस्त करते हुए अपीलार्थीगण को सुनवाई का एक मौका देना न्यायोचित प्रतीत होता है। तदनुसार अपील स्वीकार किए जाने योग्य है।

आदेश

अपराधिक अपील संख्या- 79/2024, रोहित सिंह आदि बनाम उत्तर प्रदेश सरकार आदि स्वीकार की जाती है। विद्वान विचारण अपर सिविल जज(जू0डि0)/ न्यायिक मजिस्ट्रेट, कक्ष सं-24, देवरिया द्वारा घरेलू हिंसा वाद संख्या- 12302/ 2021 अंजली सिंह बनाम रोहित सिंह आदि अन्तर्गत धारा- 12, 19, 20, 22, 26 घरेलू हिंसा से महिलाओं से संरक्षण अधिनियम 2005 थाना- महुआडीह, जिला देवरिया में पारित एकपक्षीय निर्णय दिनांकित-28-06-2022 खण्डित किया जाता है।

अपीलार्थीगण दिनांक- 01-07-2026 को अवर न्यायालय के समक्ष उपस्थित हो एवं कोई मौका न लेते हुए अपना पक्ष रखे । यदि उक्त दिनांक को अपीलार्थीगण न्यायालय में उपस्थित नहीं होते हैं या अपना पक्ष रखने में असमर्थ होता है या बिना उचित आधार के कोई मौका

लेने का प्रयास करते हैं तो अवर न्यायालय मामले में पुनः एकपक्षीय रूप से आगे बढ़ते हुए विधि अनुसार उचित निर्णय करने में समर्थ होगा ।

सत्र लिपिक को निर्देशित किया जाता है कि वे विचारण न्यायालय की पत्रावली विचारण न्यायालय को, इस न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं आदेश की प्रति के साथ आवश्यक कार्यवाही हेतु अविलम्ब प्रेषित की जाय ।

अपील की पत्रावली बाद आवश्यक कार्यवाही नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो ।

दिनॉक / देवरिया
जून 09, 2026

(नरेन्द्र नाथ त्रिपाठी)
अपर सत्र न्यायाधीश /
विशेष न्यायाधीश(ई0सी0एक्ट)
कक्ष सं0-04, देवरिया

निर्णय आज खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित, दिनॉकित कर सुनाया गया ।

दिनॉक / देवरिया
जून 09, 2026

(नरेन्द्र नाथ त्रिपाठी)
अपर सत्र न्यायाधीश /
विशेष न्यायाधीश(ई0सी0एक्ट)
कक्ष सं0-04, देवरिया